

प्रेस नोट

दिनांक- 27.12.2020

सराहनीय कार्य जनपद अमेठी पुलिस

अमेठी पुलिस द्वारा कड़ी पैरवी करके हत्या के अभियुक्तो को कडी सजा दिलाई गई ।

पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री दिनेश सिंह के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री दयाराम सरोज के पर्यवेक्षण में अमेठी पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय सुल्तानपुर में प्रभावी पैरवी करके मु०अ०सं० 476/07 धारा 304,323,34 भादवि के अभियुक्तगण 1.असलम खां पुत्र मो० मुस्तफा 2. उमर हयात पुत्र मो० मुन्सीर 3. फजल मो० पुत्र मो० मुन्सीर 4. मो० रउफ पुत्र इसाहक खां निवासीगण गौसपुर मजरे ऐन्धी थाना गौरीगंज जनपद अमेठी को दोषी सिद्ध करने में सफलता प्राप्त हुई । परिणाम स्वरूप माननीय न्यायालय ए०एस०जे०/एफटीसी द्वितीय सुल्तानपुर द्वारा दिनांक 24.12.2020 को आरोपियो को 10-10 वर्ष का कारावास व 10-10 हजार (दस हजार) रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई ।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

वादी रहिसुल पुत्र अकबर खां निवासी गौसपुर मजरे ऐन्धी थाना गौरीगंज जनपद अमेठी द्वारा दिनांक 02.08.2007 समय 03:30 PM की तहरीरी सूचना के आधार पर वादी के 50 वर्षीय भाई को अभियुक्तो 1.असलम खां पुत्र मो० मुस्तफा 2. उमर हयात पुत्र मो० मुन्सीर 3. फजल मो० पुत्र मो० मुन्सीर 4. मो० रउफ पुत्र इसाहक खां निवासीगण गौसपुर मजरे ऐन्धी थाना गौरीगंज जनपद अमेठी द्वारा एक होकर प्राण घातक हमला कर देने के इस सूचना पर थाना गौरीगंज पर मु०अ०सं० 476/07 धारा 308,323,506,34 भादवि पंजीकृत होकर निरी० श्री एस०के० मिश्रा द्वारा ग्रहण करते हुए विवेचना जरिये आरोप पत्र संख्या ए-67 दिनांक 28.10.2007 को माननीय न्यायालय प्रेषित की गई थी ।